न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 48/2021

अनवान : –

1. मु0 शांति पुत्री नानूराम पत्नी ताराचन्द जाति नाई साकिन वार्ड न0 2 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

– सायला

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र नानूराम जाति नाई साकिन भानीपुरा बास नोहर तहसील नोहर।
2. गोपाल पुत्र भंवरलाल जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
3. प्रेम पुत्री भंवरलाल जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
4. मंन्जू पुत्री भंवरलाल जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
5. रेखा पुत्री भंवरलाल जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री भंवरलाल जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
7. सरोज पुत्री भंवरलाल जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
8. कमलेश पत्नी किशनलाल जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
9. पुनम पुत्री किशनलाल जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
10. ललिता पुत्री किशनलाल जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
11. वर्षा पुत्री किशनलाल जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
12. भूपसिंह पुत्र सोहनलाल जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
13. दीनदयाल पुत्र बनवारीलाल जाति नाई साकिन मोतीबास नोहर तहसील नोहर।
14. नारायणराम पुत्र बनवारीलाल जाति नाई साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
15. बृजलाल पुत्र बनवारीलाल जाति नाई साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
16. सुन्दरलाल पुत्र बनवारीलाल जाति नाई साकिन मोतीबास नोहर तहसील नोहर।
17. निर्मला पत्नी राजाराम जाति नाई साकिन लोहे वाली टंकी के पास नोहर तहसील नोहर।
18. हजारी पुत्र नन्दलाल जाति नाई साकिन बिरामखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
19. भूपसिंह पुत्र नन्दलाल जाति नाई साकिन बिरामखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
20. रवि पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई साकिन बिरामखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
21. सुमन पुत्री ओमप्रकाश पत्नी राजेश जाति नाई साकिन पिरकामड़िया तहसील टिब्बी।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested

22. शीला पुत्री ओमप्रकाश पत्नी कृष्ण जाति नाई साकिन पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)।
23. हरीश पुत्र देवीलाल जाति नाई साकिन मोजगढ़ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
24. धर्मजीत पुत्र देवीलाल जाति नाई साकिन मोजगढ़ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
25. रामस्वरूप पुत्र साहबराम पत्नी नत्थूराम साकिन नाईयावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
26. लाली पुत्री साहबराम पत्नी नत्थूराम साकिन टालीवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
27. उपपंजियक नोहर तहसील नोहर।
28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
29. ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम जाति सुथार साकिन चकराजासर तहसील नोहर।

— गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :— 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता सायल
2. श्री हवासिंह पुनिया सायल
3. श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैरसायलान स0 1 व 29

निर्णय दिनांकः 12/4/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि नानूराम पुत्र हुणता (फौत) हो गया जिसके जायज वारिस सायला व गैरसायल न0 1 एवं सोहनलाल, राजाराम, बनवारीलाल पुत्रगण तथा राधा, जमना पुत्रियां कुल 7 वारिस ही है जिसमें सोहनलाल पुत्र नानूराम फौत हो गया जिसके जायज वारिस भंवरलाल, किशनलाल व गैरसायल न0 12 हुए जिसमें भंवरलाल फौत हो गया जिसके जायज वारिस गैरसायल न0 2 ता 7 ही है एवं किशनलाल फौत हो गया जिसके जायज वारिस गैरसायल न0 8 ता 11 है एवं बनवारीलाल पुत्र नानूराम फौत हो गया जिसके जायज वारिस गैरसायल न0 13 ता 16 है एवं राजाराम पुत्र नानूराम फौत हो गया जिसके जायज वारिस गैरसायल न0 17 है। राधा पुत्री नानूराम फौत हो गयी है जिसके जायज वारिस गैरसायल न0 18 ता 19 एवं ओमप्रकाश पुत्र व कौशल्या पुत्री हुए ओमप्रकाश फौत हो गया जिसके जायज वारिस गैरसायल न0 20 ता 22 ही है एवं कौशल्या फौत हो गयी जिसके जायज वारिस गैरसायल स0 गैरसायल न0 23 ता 24 ही है एवं जमना पुत्री नानूराम फौत हो गयी जिसके जायज वारिस गैरसायल न0 25 ता 26 ही है।

रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के ख0न0 180/1 की 3.0980है0 भूमि का नानूराम पुत्र हुणताराम खातेदार काश्तकार था नानूराम पुत्र हुणता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.02.1971 को उक्त भूमि की वसीयत गैरसायल [illegible] के पक्ष में कर दी थी जिसको निरस्त करवाने के लिए सिविल न्यायाधी[illegible] अदालत में एक वाद अनवानी दीनदयाल आदि बनाम रामेश्वर पेश [illegible].02.2010 को वाद डिक्री किया जाकर आदेश किया की नानूराम पुत्र हुणता द्वारा दिनांक 1[illegible].1971 को गैरसायल रामेश्वर के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

की गई वसीयत को ढाई बिघा से अधिक की हद तक अवैध, शुन्य घोषित की जाती है। माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2010 के आधार पर 2–1/2 बिघा भूमि का गैरसायल न0 1 को खातेदार काश्तकार माना था उसके बाद शेष विवादित भूमि का विरासतन इन्तकाल नानूराम पुत्र हुणता के सातो वारिसान के नाम बहिब 1/7, 1/7 हिस्सा के हिसाब से दर्ज होना चाहिए था लेकिन गैरसायल न0 1 ने साजीसाना कार्यवाही कर समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली है एवं उसमें से 0.122है0 भूमि सुभाष पुत्र लुणाराम को बैय कर दी है। विवादित भूमि में सायला 0.352है0 भूमि की खातेदार काश्तकार है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने के कारण सायला के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए सायला विवादित भूमि में अपने 0.352है0 भूमि की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि अपने नाम करवा पाने की अधिकारी है। गैरसायल न0 1 ने हक से ज्यादा भूमि अपने नाम करवा ली है और वाद भूमि को रहन, बैय एवं मुन्तकिल करने की सरेआम धमकी देता है।

अतः गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वो विवादित भूमि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के ख0न0 180/1 की 0.0980है0 भूमि को रहन, बैय एवं मुन्तकिल ना करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 180/1 की 3.0980है0 भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

गैरसायल स0 2 ता 26 को नोटिस सम्यक तामिल होने के उपरान्त भी न तो 2 ता 26 स्वयं उपस्थित हुए और नही उनकी और से कोई विधिक पेरोकार उपस्थित हुआ। अतः अप्रार्थी स0 2 ता 26 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण स0 29 की ओर से अधिवक्ता श्री महेशचन्द शर्मा उपस्थित।

अप्रार्थी स0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेशचन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी स0 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र की मदों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पेश किया की उत्तरदाता उक्त वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। नानूराम सन् 1971 में फौत हो गया था अर्थात करीब 51 वर्ष पहले फौत हो गया था तब सायला व उसकी बहनों ने अपना हक व हिस्सा नही मांगा था क्योंकि नानूराम के जीवन काल में ही तीनों बहनों ने अपना समस्त हक हिस्सा का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया था। प्रार्थना पत्र में जिस सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नोहर की अदालत के निर्णय का जिक्र करके दावा पेश किया है उसकी अपील माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नोहर व हनुमानगढ़ में पेश हुई थी जिसमें फरीकेन का राजीनामा हो गया था लोक अदालत में राजीनामा के कारण माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय ने राजस्व न्यायालय नोहर को निर्णय दिनांक 18.05.82 की पालना करवाई गई थी जिसका ज्ञान सायला को था। राजस्व न्यायालय नोहर में एक वाद भंवरलाल बनाम रामेश्वरलाल विचाराधीन था जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.82 को पारित की गयी थी जिसके तहत उत्तरदाता को वाद भूमि प्राप्त हुई जब तक वो निर्णय व डिक्री प्रभाव में है तब तक मौजुदा दावा व दरख्वास्त नही चल सकता। [illegible] व डिक्री दिनांक 18.05.82 व इजराय दिनांक 29.06.2018 दोनों की अपील [illegible] अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में पेश कर रखी है जब तक माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ से निर्णय नही होता है तब तक सायला को वाद व प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नही है। सिविल न्यायालय द्वारा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested

अपने निर्णय में पांचवा हिस्सा बाई बर्थ राईट माना है यदि 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि नानूराम की दादालाई थी तो भी मु0 शान्ति के दावा से ही स्पष्ट होगा की नानूराम व उसके चार लड़को का 2–1/2 बिघा, 2–1/2 हिस्सा व नानूराम के 2–1/2 हिस्सा भूमि अर्थात 50 बिस्वा भूमि को उत्तरदाता की भूमि सिविल न्यायालय ने घोषित कर दी थी अर्थात सिविल न्यायालय द्वारा उत्तरदाता की 5 बिघा भूमि घोषित कर दी गई थी एवं शेष 7 बिघा 10 बिस्वा भूमि उत्तरदाता के भाईयों की घोषित की। जिन्होंने पूर्व दावा में सन् 1982 में था उसके अनुसार माननीय अपर जिला एवं न्यायाधीश में राजीनामा कर लिया है इस प्रकार से सायला एवं अन्य बहिनों का कोई हक हिस्सा नही था। सन् 1982 जो वाद एसडीओ कोर्ट में चला था उसमें राजीनामा पेश हुआ था उसमें मु0 शान्ति व उसका पुरा परिवार था अब इतने वर्षो बाद सायला को वाद लाने का कोई अधिकार नही है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में सायला हक हिस्सा पाने की अधिकारी है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक राजासर के खाता स0 186/181 के खसरा न0 180/1 की कुल 3.0980हैक्‍ भूमि में से 1488/1549 हिस्सा अप्रार्थी स0 1 के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। सायला का कथन है कि नानूराम पुत्र हुणता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.02.1971 को उक्त भूमि की वसीयत गैरसायल न0 1 के पक्ष में कर दी थी जिसको निरस्त करवाने के लिए सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नोहर की अदालत में एक वाद अनवानी दीनदयाल आदि बनाम रामेश्वर पेश हुआ जो दिनांक 18.02.2010 को वाद डिक्री किया जाकर आदेश किया की नानूराम पुत्र हुणता द्वारा दिनांक 15.02.1971 को गैरसायल रामेश्वर के पक्ष में की गई वसीयत को ढाई बिघा से अधिक की हद तक अवैध, शुन्य घोषित की जाती है। माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2010 के आधार पर 2–1/2 बिघा भूमि का गैरसायल न0 1 को खातेदार काश्तकार माना था पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि माननीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 18.02.2010 में नानूराम द्वारा रामेश्वर के पक्ष में कि गई 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि को नानूराम की पैतृक भूमि होने के कारण नानूराम व उसके चारों पुत्रों को हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रत्येक हिन्दु बेटे का जन्म से ही अपने पूर्वजो की सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है के आधार पर नानूराम के चारों बेटों एवं एक नानूराम का कुल 5 हिस्सा इस 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि में पांचों के बराबर हिस्सा माने है तथा इसी आधार पर गैरसायल स0 1 को वादग्रस्त भूमि में से 2–1/2 बिघा यानि 0.632है0 का अधिकारी है एवं शेष भूमि 2.466है0 में नानूराम के प्रत्येक वारिसान का बहिस्सा बराबर के जरिये [illegible] गया है। इस प्रकार सायला का केवल मात्र 0.352है0 भूमि का ही प्रथम दृष्टया हि[illegible] है। सायला वाद भूमि में अपने हक हिस्सो की मांग कर रही है जो की [illegible] आधार पर साबित होगा की सायला वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी है या नही। उपरोक्त विवेचनस्वरूप सायला केवल अपने हिस्से तक की भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त आंशिक रूप से सायला के पक्ष में बन रहा है। जब तक सायला के हक हिस्सो का निर्धारण नही हो जाता तब तक गैरसायल स0 1 को उक्त वाद भूमि में सायला के हिस्सा 0.352 है0 भूमि की हद तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी ना बढ़े। अतः प्रार्थना पत्र सायला आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.04.2021 को रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 180/1 की 3.0980 है0 भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी, उक्त वाद भूमि 3.0980है0 में से सायला का हिस्सा 0.352 है0 भूमि का ही प्रथम दृष्टया हिस्सा बनता है अतः उक्त वाद भूमि में से 0.352 है0 भूमि को अप्रार्थीगण ताफैसला दावा रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे। शेष भूमि बाबत गैरसायलान रहन, बैय व मुन्तकिल तथा नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested